न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2020

अपीलांट

1. सुखदेव पुत्र श्री हांसारामजी,
2. भंवरलाल पुत्र श्री हांसारामजी
3. शिवदान पुत्र श्री हांसारामजी
4. मेवाराम पुत्र श्री हांसारामजी
5. कानाराम पुत्र श्री भंवरूरामजी पुत्र हांसारामजी
6. नेमाराम पुत्र श्री भंवरूरामजी पुत्र श्री हांसारामजी, तमाम जातिगण गुर्जर, निवासीगण चिलकणी(रास) तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. साबुराम पुत्र श्री सूरजमलजी
2. बुधाराम पुत्र श्री पुसारामजी, जातियान गुर्जर, निवासीगण चिलकणी(रास) तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण, जिला पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री [illegible] विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री [illegible] विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01/02/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2164/2016 बउनवान साबुराम वगैरह बनाम सुखदेव वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम मौजा भील देवा, पटवार हल्का रास–प्रथम, तहसील जैतारण जिला के वर्तमान खसरा नंबर 973 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांटगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अपीलांटगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 973 सहित अन्य खसरा नंबर 963 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 972 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 971 रकबा 0.07 बीघा गैर मुमकिन बेरा सहित कुल खसरा 04 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो तत्कालीन रास ठिकाने के ठाकुर जागीरदार बहादुरसिंह पुत्र श्री नाथुसिंहजी की जागीरी की थी, जैसा कि मिसल बंदोबस्त 2018 में दर्ज है। जागीरी के समय अपीलांटगण के दादा बालाराम उर्फ बालूरा पुत्र श्री सवाईसिंहजी जो काश्तकार के रूप में काश्त करते थे, जिन्होने सेटलमेंट के वक्त ठाकुर बहादुरसिंहजी से उक्त भूमि खरीद की एवं उन्होने अपने जीवनकाल में अपने तीनो पुत्रो हमीरा, हांसाजी (हंसा जो अपीलार्थी के दादा है) एवं गोविन्दजी तीनो पुत्रो का 1/3–1/3 हिस्सा रखते हुए अलग–अलग सुपुर्द की, किन्तु राजस्व रेकर्ड में उस समय अपीलांटगण के दादा व गोविन्दजी छोटे होने से उसकी पालना करवाने में कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग हिस्से की खातेदारी इन्द्राज प्रविष्टि दर्ज नहीं हो सकी। चूंकि हमीराजी जो घर में बडे व कर्ता खानदान थे जिन पर अन्य दोनो भाई हांसाजी व गोविन्दजी विश्वास करते थे, किन्तु उन्होने हमीराजी ने उक्त खसरा नंबर 973 की खसरे की भूमि का सेटलमेंट वालो से मिलावट कर 1/2 हिस्सा अपने हमीरा के नाम एवं 1/2 हिस्सा भागु वल्द जोराजी के नाम दर्ज रविा दी। चूंकि भागुजी जो हमीराजी के ससुर थे जिनको शिकमी काश्तकारी बतते हुए अपने दोनो के नाम दर्ज करवा दी, जबकि अपीलांटगण के 1/3 हक–हिस्से की भूमि में मौके पर पत्थरो से चुनाई कर कच्ची दीवार बनाई हुई है एवं उतरी–पश्चिमी दिशा में जे.सी.बी से मिट्टी की खन्दक लगाई हुई है एवं दक्षिणी दिशा में स्थाई माठ कायम की हुई है इस प्रकार उपरोक्त 1/3 हक–हिस्से में हांसाजी का संवत 2018 के बाद लगातार कब्जा काश्त रहा एवं उनके बाद अपीलांटगण का लगातार अपने 1/3 हक–हिस्से में कब्जा काश्त कायम है लेकिन रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 व 02 के पिता हमीराजी व इनके वारिसान का केवल मात्र 1/3 हक–हिस्सा ही बनता है एवं 1/3 हिस्सा गोविन्दजी का बनता है लेकिन हमीराजी ने अपने ससुर भागुजी के देहान्त के बाद उनके वारिसान से फर्जी तौर पर नीवो वगैरह से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा नंबर 973 के 1/4 हिस्से का बेचाणनाम तैयार करवा दिया जो बेचाण्नामा गलत, फर्जी व कूटरचित था जिसके आधार पर कोई हक–अधिकार सायलान को प्राप्त नहीं हो सकते एवं ऐसा फर्जी बेचाननाम अपीलांटगण के विरूद्ध शून्य व अकृत है एवं ऐसे फर्जी बेचाननामे के आधार पर जो खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त बेचानामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांटगण के दादा हंसाजी का सेटलमेंट के समय व 2018 के आद से लगातार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वर्तमान में अपीलांटगण कब्जा काश्त है। अपीलांटगण स्वर्गीय बालारामजी का वंशज है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए फर्जी बेचाननामे को आधार मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त कर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम मौजा भील देवा, पटवार हल्का रास–प्रथम, तहसील जैतारण जिला के वर्तमान खसरा नंबर 973 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांटगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसका निस्तारण साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर तय होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओ का ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम मौजा भील देवा, पटवार हल्का रास–प्रथम, तहसील जैतारण जिला के वर्तमान खसरा नंबर 973 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांटगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा खातेदारी घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समर्थन में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्टगण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्य मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। इस अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2164/2016 बउनवान साबुराम वगैरह बनाम सुखदेव वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.12.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली